संख्या- 24 /2026/ 623 /26-3-2026-1832301

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय योजनान्तर्गत कार्यालय फर्नीचर मद में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10029/स0क0/ए0टी0एस0/ता0आपू0-253, दिनांक 05-02-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 2225-01-789-12-00 के मानक मद-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में अनुपूरक माँग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 500.00 लाख को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-00 के मानक मद-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में मद में अनुपूरक अनुदान के रूप में आवंटित धनराशि रू0 500.00 लाख **(रू0-पांच करोड़ मात्र)** अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, लखनऊ से तत्काल अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

(2) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को डेस्क, बेंच, तख्त/ बेड, मेज़ पेपर स्टैण्ड तथा फर्नीचर आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करायी जायेगी।

(3) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार अनुपूरक अनुदान के माध्यम से आवंटित धनराशि रू0 500.00 लाख के अन्तर्गत आवासीय छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ फर्नीचर उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) समस्त कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

(5) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/क्रय सम्बन्धी शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार सामग्री का क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(13) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 500.00 लाख (रुपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 2225-01-789-12-00 के मानक मद - 12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक.) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHR
Date: 17-02-2026
10:05:08

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव